

20/10
23

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली
आइन्दा 12-1-24 को पेश हो। 4


12-1-24

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली
आइन्दा 2-2-24 को पेश हो। 4

2-2-24

पत्रावली पेश हुई।
वादीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में
विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थायी
निषेधाज्ञा विचाराधीन प्रकरण को जरिये नोट प्रेस कर राजस्व
वाद को खारीज करवा दिया है। अतः अब इस आवेदन को
चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। आवेदन इसी स्तर पर
खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक क्लर्क
(SDO) धोरीमन्ना

